<u>उत्तर प्रदेश शासन</u>

<u>पर्यटन अनुभाग</u>

<u>संख्या-42/2021/313/41-2021-88 यो0/2016 टीसी0</u>

लखनऊ दिनांक 11 जनवरी, 2021

<u>संख्या-21/2021/4524/41-2020-88 यो0/2016 टी0सी0, दिनांक 11 जनवरी, 2021</u>

<u>का शुद्धि पत्र</u>

वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद लखनऊ में वाजिद अली शाह महोत्सव के आयोजन हेतु प्रावधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-21/2021/4524/41-2020-88 यो0/2016 टी0सी0, दिनांक 11 जनवरी, 2021 द्वारा स्वीकृति विषयक शासनादेश के प्रस्तर-3 के उप प्रस्तर (2) में शर्त त्रुटिवश निम्नानुसार अंकित हो गयी है:-

"निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यक्तानुसार ही किया जायेगा तथा प्रस्तावित आयोजन हेतु मदवार व्यय का विवरण सक्षम स्तर से प्रमाणित कराते हुए शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण/व्यय उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा एवं व्यय की गयी धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2020-21 में घुइसरनाथ धाम में राष्ट्रीय एकता महोत्स0 के आयोजन हेतु निवर्तन पर रखी गयी धनराशि का प्रामाणिक मदवार व्यय-विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।"

2. अत: एतद्द्वारा शासनादेश संख्या-21/2021/4524/41-2020-88 यो0/2016 टी0सी0, दिनांक 11 जनवरी, 2021 द्वारा स्वीकृति विषयक शासनादेश के प्रस्तर-3 के उप प्रस्तर (2) को विलोपित करते हुए निम्नवत पढ़ा जाय:-

"निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यक्तानुसार ही किया जायेगा तथा प्रस्तावित आयोजन हेतु मदवार व्यय का विवरण सक्षम स्तर से प्रमाणित कराते हुए शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण/व्यय उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा एवं व्यय की गयी धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। "

3- शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-42/2021/313(1)/41-2021-88 यो0/2016 टीसी0 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, लखनऊ।
4- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7
8- वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
9- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.nic.in